

समाहरणालय, किशनगंज

(जिला राजस्व प्रशाखा)

सैरात बन्दोवस्ती सूचना (अल्पकालीन)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2020-21 के लिए किशनगंज जिला अन्तर्गत अप्रैल श्रेणी के निम्नलिखित राजस्व हाट सैरातों की बन्दोबस्ती हेतु दिनांक-16.03.2020 को 03.00 बजे अपराह्न में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में डाक की जायगी। निर्धारित तिथि को बन्दोबस्त नहीं होने की स्थिति में पुनः वैसे सैरातों के नाम के सामने अंकित तिथि को बन्दोबस्ती की जायेगी :-

क्र0	सैरात का नाम	सुरक्षित जमा राशि	अंचल का नाम	डाक की निर्धारित तिथि		
				प्रथम	द्वितीय	तृतीय
1	2	3	4	5	6	7
01	खगड़ा हाट एवं गुदरी	43,12,500.00	किशनगंज	16.03.2020	18.03.2020	20.03.2020
02	आलमगंज हाट	3,96,750.00	किशनगंज			
03	बहादुरगंज राजस्व हाट	9,25,750.00	बहादुरगंज			
04	लोहागाड़ा राजस्व हाट	12,65,000.00	बहादुरगंज			
05	विशनपुर राजस्व हाट	11,90,250.00	कोचाधामन			
06	बड़बट्टा राजस्व हाट	4,10,636.00	कोचाधामन			
07	टप्पू राजस्व हाट	1,69,941.00	दिघलबैंक			
08	हरूआडांगा राजस्व हाट	3,14,755.00	दिघलबैंक			
09	दिघलबैंक राजस्व हाट	3,66,531.00	दिघलबैंक			
10	पाठामारी राजस्व हाट	1,16,380.00	ठाकुरगंज			
11	छत्तरगाछ राजस्व हाट	13,22,500.00	पोठिया			
12	फुलबड़िया राजस्व हाट	4,02,040.00	ठाकुरगंज			
13	मटियारी राजस्व हाट	10,72,217.00	टेढ़ागाछ			

डाक की शर्तें निम्न प्रकार हैं :-

- डाक में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्तियों को सुरक्षित जमा राशि का 25 प्रतिशत राशि डाक में भाग लेने के पूर्व प्रतिभूति राशि के रूप में जमा करना होगा।
- पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी आचरण प्रमाण-पत्र (अद्यतन) डाक के पूर्व कार्यालय में जमा करना होगा, अन्यथा डाक में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- डाक में भाग लेने वाले व्यक्तियों को जिला/अनुमंडल/अंचल/संबंधित नगर निकायों से बकाया रहित प्रमाण-पत्र एवं अंचल अधिकारी से आय प्रमाण-पत्र/ निवासी प्रमाण पत्र प्राप्त कर कार्यालय में जमा करना होगा।
- किसी भी हाट लेसी या संकलन अभिकर्ता के पास राशि बकाया रहने पर उन्हें डाक में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही उनके निकट संबंधी भाई, भतीजा, पुत्र/पुत्री को भी डाक में भाग नहीं लेने दिया जायगा। उपरोक्त राजस्व हाटों की बन्दोवस्ती वर्तमान में स्थित राजस्व हाट की जितनी जमीन है, जैसी है, उसी स्थिति के लिए की जायगी और ग्राउण्ड रेन्ट की वसूली उतनी जगह के अन्दर ही की जायगी।

- ☞ हाट की जमीन को किसी प्रकार के अतिक्रमण से मुक्त रखने तथा हाट साफ-सफाई एवं पानी की सारी व्यवस्था हाट लेसी को ही अपने व्यय पर करना होगा और हाट में किसी राजनीति सभा नहीं की जायगी।
- ☞ सैरात की जमीन पर किसी प्रकार के स्थायी संरचना का निर्माण नहीं किया जायेगा। इसे सुनिश्चित करना लेसी की जिम्मेवारी होगी।
- ☞ हाट ग्राउण्ड रेन्ट की वसूली निर्धारित दर पर ही करनी होगी तथा प्रत्येक वसूली स्वयं द्वारा छपाई गई बट्टी रसीद उन्हें निर्गत करनी होगी जिसका व्यय वे स्वयं वहन करेंगे। ग्राउण्ड रेन्ट बोर्ड तालिका या अन्य सूचना चापाकल, हाई ग्रेड वृक्षों की सुरक्षा हाट लेसी को ही करनी होगी।
- ☞ बाढ़ सुखा एवं अन्य प्राकृतिक विपदाओं पर हाट नहीं लगने पर बन्दोबस्ती की राशि में किसी प्रकार का छूट अनुमान्य नहीं होगा।
- ☞ किसी भी हालत में किसी भी सम्प्रदाय द्वारा राजस्व हाट में अस्थाई/ स्थाई कोई भी धार्मिक या मजहबी निर्माण नहीं होने दिया जायगा। इसकी जवाबदेही हाट ठेकेदार/ बन्दोबस्तदार की होगी।
- ☞ संक्रमक रोग या महामारी की स्थिति में हाट लेसी की यह विशेष जवाबदेही होगी कि वे हाट में सड़ी गली वस्तुओं की खरीद बिक्री नहीं होने दे। साफ-सफाई की विशेष व्यवस्था करेंगे। इस क्रम में कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगा।
- ☞ अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताए बन्दोबस्ती अस्वीकृत/ रद्द करने अथवा हाट की नीलामी को निरस्त करने अथवा विभागीय प्रबंध करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित होगा।
- ☞ डाक समाप्ति के पश्चात् सफल डाक वक्ता को नियमानुसार उच्चतम डाक की राशि एवं निर्धारित मुद्रांक शुल्क / निबंधन शुल्क (बन्दोबस्त राशि का 2% निबंधन शुल्क एवं 6% स्टाम्प शुल्क) डाक समाप्ति के तुरंत बाद जमा करना होगा, अन्यथा अग्रधन की राशि जब्त कर ली जायेगी।
- ☞ सैरात बन्दोबस्ती के संबंध में कोई भी जानकारी सभी कार्य दिवसों में कार्यालय अवधि में जिला राजस्व प्रशाखा एवं किशनगंज जिला के बेवसाइट से भी प्राप्त की जा सकती है।

Adivyanshu
24/4/2020

स मा ह र्ता,
किशनगंज।